



सूचना
का अधिकार

पावर ग्रिड कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Power Grid Corporation of India Limited
सूचना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005
केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लॉट नं.2, सेक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122007
Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122007



पावरग्रिड

CP/RTI/2017/244

Date: 20th September, 2017

Shri Pankaj Kumar Mishra,
Vill: Audi, Anpra,
Sonbhadra – 231 225
Uttar Pradesh

Sub: Information under Right to Information Act, 2005.

Dear Sir,

This has reference to your RTI request forwarded by MOP through online RTI portal on 12th September, 2017 for providing information under RTI Act, 2005.

The information sought is attached at **Annexure-I**.

First Appeal, if any, against the reply of CPIO may be made to the first appellate Authority within 30 days of the receipt of the reply of CPIO. Details of Appellate Authority at Corporate Centre, Gurgaon, under RTI Act, 2005 is as below:

Shri Sanjeev Singh,
Executive Director (CMG) & Appellate Authority
Corporate Centre, Power Grid Corporation of India Limited
"Saudamini", Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon – 122007, Haryana.
Email ID: sanjeev@powergridindia.com
Phone No. 0124-2571962

Thanking you,

भवदीय,

(अजय होलानी)

अपर महाप्रबंधक (के.आ.) एवं के.लो.सू.अधिकारी

Email ID: cpio.cc@powergrid.co.in

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013, के अंतर्गत दिनांक 08 सितम्बर, 2015 को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार सभी मामलों पर समान रूप से लागू है, तथा संबंधित मंत्रालय, की वेबसाइट पर प्रदर्शित है, जिससे कोई भी पक्षकार इससे संदर्भ ग्रहण कर सकता है, अतः इस सन्दर्भ में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अलग से कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। यहां पर यह बताना आवश्यक है कि अधिनियम की अधिसूचना के बाद से पावरग्रिड द्वारा किसी भी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है।

राजीव श्रीवास्तव
15/11/17
(राजीव कुमार श्रीवास्तव)